

दावा अन्तर्गत धारा 88.53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व श्री हनुमानराम मंडा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 16 हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 17 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि- यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88.53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा खियाला के खेत खसरा नंबर 25 रकबा 2.8328 हैक्टेयर भूमि का बंटवाड़ा सहखातेदार पक्षकारानों के मध्य मुताबिक वाद पत्र इस्तदुआ एवं सहमति ईकबालिया जबाब अनुसार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी प्रहलादराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खियाला का खेत खसरा नंबर 25 रकबा 2.8228 हैक्टेयर भूमि रखी जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 16 के नाम मुतदाविया खेताय में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 17/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -  
सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे  
दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/12/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये  
दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल (नागौर)